कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 87/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.03.2026

थाना फूलपुर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोकशी की घटना में संलिप्त 01 गोतस्कर घायल सहित 03 गिरफ्तार।

दिनांक 03.03.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कौड़िया स्थित कुंवर नदी में प्रतिबंधित पशु के अवशेष बरामदगी प्रकरण में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार, जिनमें 01 अभियुक्त घायल।

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, व चापड़ बरामद।

सुनियोजित रूप से गोवंश पकड़कर वध एवं अवैध मांस बिक्री का खुलासा

घटना/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 05.03.2026 **की रात्रि लगभग 02:15 बजे** थाना फूलपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी।

➡इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के **ग्राम मुड़ियार स्थित शाहिदा सुल्ताना स्कूल के आगे, मुड़ियार गाँव की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिया के पास** कुछ अभियुक्त किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर विश्वास करते हुए थानाध्यक्ष फूलपुर द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई।

➡स्वयं को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा बार-बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, किन्तु बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दो अन्य बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान-

01. मो0 आमिर पुत्र मो0 जाहिद निवासी ग्राम कौडिया थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष **(बाये पैर में गोली लगी है, घायल अभियुक्त)**

02. साकिब पुत्र परवेज निवासी ग्राम कौडिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष **(गिरफ्तार अभियुक्त)**

03. युसुफ पुत्र ऐनुद्दीन ग्राम कौडिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष **(गिरफ्तार अभियुक्त)**

➡ घायल को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।

बरामदगी का विवरण-

मौके से बरामद की गई—

1. 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस .315 बोर
4. दो चापड़
5. दो एण्ड्राइड मोबाइल

पूछताछ/अपराध का तरीका-

➡ पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे सभी आपस में मिलकर सुनियोजित ढंग से गोवंश को पकड़कर रात्रि में सुनसान एवं निर्जन स्थानों पर ले जाकर उनका अवैध वध करते थे तथा मांस का उपभोग/बिक्री करते थे।

➡ चिन्हित किए गए गोवंश को अवसर का लाभ उठाकर पकड़ते थे और निर्जन स्थान पर ले जाकर अवैध रूप से वध करते थे। वध के पश्चात मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ऊँचे दामों पर बिक्री करते थे।

➡ वध के उपरांत शेष अवशेषों को नदी/नालों में फेंककर अथवा जमीन में गाड़कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते थे, जिससे अपराध का खुलासा न हो सके।

➡ कुछ मामलों में गोवंश को काटकर वाहन के माध्यम से अन्य स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से बिक्री करते थे।

➡ पुलिस की निगरानी से बचने हेतु अभियुक्त बार-बार स्थान परिवर्तन करते थे तथा अपनी आपराधिक गतिविधियों को गोपनीय रखने का प्रयास करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1-अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0– 75/26 धारा 3(5)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास- (घायल अभियुक्त मो0 आमिर, अभियुक्त साकिब व अभियुक्त युसुफ उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 71/26 धारा 3/5/8 गोवध0नि0अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
2.मु0अ0सं0– 75/26 धारा 3(5)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1- थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द 2-व0उ0नि0 श्री गंगा राम बिन्द 3- उ0नि0 अजीज खान 4- उ0नि0 दयानन्द 5-का0 विनोद भारती 6-का0 अमितेश कुमार 7-का0 सौरभ यादव 8- का0 अश्वनी यादव 9- का0 महेन्द्र सरोज 10- का0 इरफान अहमद 11-का0 राजकुमार12- का0 विनोद यादव थाना फूलपुर आजमगढ